महात्मा गांधी राज्य ग्रामीण विकास एवं पंचायत राज संस्थान - म.प्र.

पहल

ई–समाचार पत्र (मासिक) – अठहत्तरवां संस्करण (माह सितंबर, 2022)

➔ "पहल" के इस संस्करण में .....

1. अपनी बात ....
2. मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान
3. राजमिस्त्री के लिये महिलाओं के बढ़ते कदम
4. ग्राम पंचायत विकास योजना (जीपीडीपी) की तैयारी और वीपीआरपी का जीपीडीपी में एकीकरण
5. जल की प्रचुरता वाले गांव विषय का अन्य सतत विकास लक्ष्यों के साथ अंतर्संबंध
6. किशोर न्याय बालकों को देखरेख और संरक्षण अधिनियम 2015
7. ग्राम शाहपुर, (कुठार) तहसील–हुजूर, जनपद पंचायत फदा जिला भोपाल में भूमि एवं वृक्ष संरक्षण हेतु किये गये सफल प्रयोग
8. सुरहन गौशाला ग्राम पंचायत रिड्डी

प्रकाशन समिति

संरक्षक एवं सलाहकार
श्री उमाकांत उमराव (IAS)
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

प्रधान संपादक
श्री संजय कुमार सराफ,
संचालक,
महात्मा गांधी राज्य ग्रामीण विकास
एवं पंचायतराज संस्थान–म.प्र., जबलपुर

सह संपादक
श्रीमती सुनीता चौबे,
उप संचालक, म.गां.रा.ग्रा.वि.पं.रा.स.–म.प्र., जबलपुर

ई–न्यूज के सम्बन्ध में अपने फीडबैक एवं आलेख छपवाने हेतु कृपया इस पते पर मेल करें–mgsirdpahal@gmail.com
Our official Website : www.mgsird.org, Phone : 0761-2681450 Fax : 761-2681870

Designed & Developed By : Mr. Jay Kumar Shrivastava, Programmer, MGSIRD&PR, JABALPUR

अपनी बात...

''पहल'' मासिक ई–न्यूज लेटर का अठहत्तरवां संस्करण का प्रकाशन किया जा रहा है, जो वर्ष 2022 का सातवां मासिक संस्करण है।

इस संस्करण में मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान के अंतर्गत हितग्राही मूलक योजना का लाभ शत–प्रतिशत सैचुरेशन के लक्ष्य को ध्यान रखते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के जन्मदिन दिनांक 17/09/2022 से दिनांक 31/09/2022 तक विशेष अभियान चलाया जाना है। भारत सरकार और राज्य सरकार की चिन्हित फ्लैगशिप योजनाओं के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान का कियान्वयन हेतु प्रत्येक ग्राम पंचायतो के स्तर पर विशेष शिविर आयोजित किये जाने हेतु प्रारंभ किया गया है। जिसे **''मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान''** आलेख के रूप में शामिल किया गया है।

इससे साथ ही **''राजमिस्त्री के लिये महिलाओं के बढ़ते कदम''**, **''ग्राम पंचायत विकास योजना (जीपीडीपी) की तैयारी और वीपीआरपी का जीपीडीपी में एकीकरण''**, **''जल की प्रचुरता वाले गांव विषय का अन्य सतत विकास लक्ष्यों के साथ अंतर्संबंध''**, **''किशोर न्याय बालकों को देखरेख और संरक्षण अधिनियम 2015''**, **''ग्राम शाहपुर, (कुठार) तहसील–हुजूर, जनपद पंचायत फदा जिला भोपाल में भूमि एवं वृक्ष संरक्षण हेतु किये गये सफल प्रयोग''** एवं **''सुरहन गौशाला ग्राम पंचायत रिड्डी''** आदि आलेखों को भी इस संस्करण में शामिल किया गया है।

मुझे पूर्ण विश्वास है कि 'पहल' का यह संस्करण आपको अत्यंत रूचिकर, नवीन उपयोगी एवं आवश्यक जानकारी प्रदान करने वाला रहेगा।

शुभकामनाओं सहित।

संजय कुमार सराफ
संचालक

मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान

मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान के अंतर्गत हितग्राही मूलक योजना का लाभ शत–प्रतिशत सैचुरेशन के लक्ष्य को ध्यान रखते हुए दिनांक 17/09/2022 से दिनांक 31/09/2022 तक विशेष अभियान चलाया जाना है। भारत सरकार और राज्य सरकार की चिन्हित फ्लैगशिप योजनाओं के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान का कियान्वयन हेतु प्रत्येक ग्राम पंचायतो के स्तर पर विशेष शिविर आयोजित किये जाने हेतु प्रारंभ किया गया है। राज्य शासन के विभिन्न विभागों द्वारा संचालित योजनाओं का पूरा लाभ उसके वास्तविक रूप से पात्र हितग्राही तक समय सीमा में पहुॅचे। म.प्र. शासन विकास जन कल्याण और सुराज के लिए प्रतिबद्ध है। प्रत्येक ग्राम पंचायतो में व्यापक रूप से स्वयं सहायता समूह की महिलाओं द्वारा वृक्षारोपण भी कराया जाये।

मुख्यमंत्री जन सेवा अभियान के अंतर्गत फ्लैगशिप हितग्राहीमूलक योजनाओं सूची

विभाग	योजनाए
1. खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग	1. लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली
	2. प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना
2. जनजातीय कार्य विभाग	3. आहार अनुदान योजना
3. नगरीय विकास एंव	4. शहरी पथ विक्रेताओं को सूक्ष्म ऋण उपलब्ध कराने के उद्देश्य से

आवास विभाग	भारत सरकार की योजना – पी एम् स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि (पी एम् स्वनिधि) के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में.
4. पंचायत एंव ग्रामीण विकास विभाग	5. स्वच्छ भारत मिशन
	6. मुख्यमंत्री ग्रामीण पथ विक्रेता ऋण योजना
5. पशुपालन एवं डेयरी विभाग	7. किसान क्रेडिट कार्ड (पशुपालन)
6. मत्स्य पालन एवं मछुआ विकास विभाग	8. मछुआ क्रेडिट कार्ड योजना
7. महिला एवं बाल विकास विभाग	9. लाड़ली लक्ष्मी योजना के अंतर्गत स्वीकृति जारी करना
	10. प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना (PMMVY)
	11. मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना सार्वजनिक वितरण प्रणाली
8. राजस्व विभाग	12. मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना
	13. प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना
9. लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग	14. आयुष्मान भारत योजना
10. वित्त	15. प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना
	16. अटल पेंशन योजना
	17. किसान क्रेडिट कार्ड (कमर्शियल बैंकों के माध्यम से)
11. श्रम विभाग	18. निर्माण श्रमिको का पंजीयन (भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार मण्डल)
12. सहकारिता विभाग	19. किसान क्रेडिट कार्ड जारी करना
13. सामाजिक न्याय एवं निशक्त कल्याण विभाग	20. समग्र सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना
	21. इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय वृध्दावस्था पेंशन योजना
	22. इंदिरा गाँधी राष्ट्रीय नि:शक्त पेंशन योजना
	23. राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना

	24. नि:शक्तजन विवाह प्रोत्साहन योजना
	25. मध्यप्रदेश निःशक्त छात्र/छात्राओं के लिए उच्च शिक्षा में दी जाने वाली फीस, निर्वाह भत्ता, परिवहन भत्ता योजना
	26. मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक पेंशन योजना
	27. मुख्यमंत्री नि:शक्त शिक्षा प्रोत्साहन योजना
	28. मुख्यमंत्री कल्याणी विवाह सहायता योजना
	29. छः वर्ष से अधिक आयु के बहुविकलांग और मानसिक रूप से अविकसित निःशक्तजन के लिए सहायता अनुदान योजना
	30. दिव्यांग छात्रवृत्ति
	31. चिकित्सक की अनुशंसा से निःशुल्क कृत्रिम अंग सहायक उपकरण
14. सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम	32. मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना

सज्जन सिंह चौहान
संकाय सदस्य

राजमिस्त्री के लिये महिलाओं के बढ़ते कदम

प्रधान मंत्री आवास योजना ग्रामीण (पीएमएवायजी) के अन्तर्गत राजमिस्त्री के छटवें चरण में जिला बैतूल के अन्तर्गत जनपद पंचायत बैतूल के ग्राम पंचायत जामठी के ग्राम उडदन में 15 महिलायें राजमिस्त्री के 45 दिवसीय प्रशिक्षण में दिनांक 29.08.2022 से प्रत्येक आवास में 5 महिलायें राजमिस्त्री कुल तीन आवासों में 15 राजमिस्त्री– 1. दुर्गा विश्वकर्मा 2. मालती विश्वकर्मा 3. सोनम विश्वकर्मा 4. किरन विश्वकर्मा 5. अमरवती विश्वकर्मा 6. सकुन विश्वकर्मा 7. सुशीला विश्वकर्मा 8. रेखा भावसार 9. कमला परते 10. ममता कुमरे 11. सुनीता उपरेले 13. संगीता कुमरे 14. संगीता यादव 15. शया विश्वकर्मा; कार्य कर रही है।

सभी 15 महिला राजमिस्त्रीयों का मानना है कि अभी राजमिस्त्री का कार्य पुरूष करते थे महिला मजदूरी का कार्य करती थी।

प्रधान मंत्री आवास योजना ग्रामीा के अन्तर्गत 45 दिवसीय राजमिस्त्री के प्रशिक्षण में यह अवधारणा को समाप्त कर महिलाओं को राजमिस्त्री प्रशिक्षण चयन कर प्रशिक्षण देकर राजमिस्त्री बनाने का अवसर दिया।

यह अवसर गांव में लेगिंग भेदभाव समाप्त कर पुरूष के समान महिलओं को भी आगे आकर कार्य देने का अवसर दिया गया।

जिला बैतूल के जिला प्रशासनिक अमले एवं राधिका गंगारे ग्राम रोजगार सहायक श्री पुनूराम वाडीवा सरपंच एवं सचिव अशोक राने श्री शीतल शुक्ला वी.सी. आवास के प्रयासों से एक गांव में 15 महिलाओं को राजमिस्त्री प्रशिक्षण प्राप्त करने का अवसर प्राप्त हुआ। निश्चित ही प्रधान मंत्री आवास योजना ग्रामीण (PMAY-G) के अन्तर्गत राजमिस्त्री प्रशिक्षण से जेंडर असमानता में समाप्त करने की शुरूआत की है।

सी.के. चौबे
संकाय सदस्य

ग्राम पंचायत विकास योजना (जीपीडीपी) की तैयारी और वीपीआरपी का जीपीडीपी में एकीकरण

पंचायतें– राष्ट्रीय व प्रादेशिक आंकड़ें

पंचायती राज मंत्रालय, भारत सरकार के आंकड़ों के अनुसार भारत में 2,78,746 पंचायतराज संस्थाएं हैं। जिनमें 2,55,303 ग्राम पंचायतें, 6683 व्लाक पंचायतें और 663 जिला पंचायतें शामिल हैं। इन तीनों स्तर की पंचायतों में लगभग 31.47 लाख निर्वाचित प्रतिनिधि हैं जिनमें लगभग 14.54 लाख महिला प्रतिनिधि हैं।

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, मध्यप्रदेश शासन एवं राज्य निर्वाचन आयोग के आंकड़ों के अनुसार मध्यप्रदेश में 23012 ग्राम पंचायतें, 313 जनपद पंचायतें एवं 52 जिला पंचायतें हैं। प्रदेश में 875 जिला पंचायत के सदस्य, 6771 जनपद पंचायत के सदस्य, 23012 सरपंच एवं 363726 पंच हैं।

भविष्य की सोच–ग्रामीण परिवर्तन का आधार

ग्रामीण क्षेत्र के सामाजिक और आर्थिक विकास के लिये सबसे मूल की ईकाई के रूप में ग्राम पंचायतें अपना दायित्व निभा रहीं हैं। संविधान की ग्यारहवीं अनुसूची में पंचायतों को 29 विषय सौंपे गये हैं। केन्द्र शासन के लगभग 18 विभागों द्वारा इन विषयों की गतिविधियों को पूरा करने का कार्य किया जा रहा है।

संविधान के अनुच्छेद 243 (जी) द्वारा अधिसूचित 29 विषयों को मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 की धारा 53 में पंचायतों के कृत्यों के संबंध में राज्य सरकार की शक्तियां की उपधारा 1 में राज्य सरकार द्वारा अनुसूची 4 में शामिल किया गया है। इन विषयों से संबंधित विभिन्न विभाग अपनी–अपनी गतिविधियां संचालित कर रहे हैं।

आर्थिक विकास एवं सामाजिक न्याय की योजनाएँ तैयार करने एवं उनके क्रियान्वयन हेतु पंचायतों की भूमिका निर्घारित की गई है। पंचायतों से स्वास्थ्य, आर्थिक, शिक्षा, पोषण और कौशल विकास आदि से संबंधित विभिन्न महत्वपूर्ण योजनाओं के सुचारू संचालन में अपनी भागीदारी निभाई जाने की अपेक्षा है।

केन्द्र वित्त आयोग से अब सीधे पंचायतों को अनुदान राशि प्राप्त हो रही है। जिसका उपयोग पंचायतों द्वारा उपयुक्त तरीके से बनाई गई योजना अनुसार के किया जावेगा। ग्राम पंचायत विकास योजना के माध्यम से एक पंचायत, एक योजना की अवधारणा लागू की गई है। जिसका उद्देश्य समावेशी विकास और विकास के लिए समुदाय संचालित विकेन्द्रीकृत योजना प्रक्रियाओं को मजबूत करना है।

ग्यारवीं अनुसूची अनुसार पंचायतों को सौंपे गये 29 विषय

संविधान के अनुच्छेद 243 जी में पंचायतों को 29 विषय सौंपे गये है। जो इस प्रकार हैं :– (1) कृषि प्रसार सहित कृषि (2) भू–सुधार एवं मृदा सरंक्षण (3) लघु सिंचाई, जल प्रबंध एवं जनसंभर विकास (4) पशुपालन, दुग्धशाला एवं मुर्गीपालन (5) मत्स्यपालन (6) सामाजिक वानिकी एवं फार्मवानिकी (7) लघु वन उत्पाद (7) खाद्य संसाधन उपयोगी सहित लधु उद्योग (8) खादी, ग्राम एवं कुटीर उद्योग (9) ग्रामीण आवास (10) पेयजल (11) ईंधन (12) सड़कें, पुलिया, सेतु, घाट, जलमार्ग एवं संचार के अन्य साधन (13) विद्युत वितरण सहित ग्रामीण विद्युतीकरण (14) ऊर्जा के गैर परम्परागत स्त्रोत (15) गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम (16) प्राथमिक एव

माध्यमिक स्कूलों सहित शिक्षा (17) तकनीकी प्रशिक्षण एवं व्यवसायिक शिक्षा (18) प्रौढ़ एवं अनौपचारिक शिक्षा (19) पुस्तकालय (20) बाजार एवं मेले (21) सांस्कृतिक कियाकलाप (22) प्राथमिक चिकित्सा केन्द्र एवं उपचार केन्द्रों सहित स्वास्थ्य एवं स्वच्छता (24) परिवार कल्याण (25) महिला एवं बाल विकास (26) सामाजिक कल्याण (27) कमजोर वर्गो का कल्याण, विषेषकर अनुसूचित जाति कल्याण (28) जल वितरण व्यवस्था (29) सामुदायिक सम्पत्ति का अनुरक्षण

सतत विकास लक्ष्य (एसडीजी)

वर्ष 2015 में विश्व के 193 देशों द्वारा सतत् विकास के लक्ष्यों को अपनाया गया है। इन लक्ष्यों को वर्ष 2030 तक हासिल किया जाना है। गरीबी को उसके सभी रूपों में मिटाना और सतत विकास के माध्यम से आर्थिक सशक्तिकरण करने के लिये 230 वैश्विक संकेतकों के साथ 17 लक्ष्य और 169 लक्ष्य (306 राष्ट्रीय संकेतक) तय किये गये हैं।

सत्त विकास के 17 लक्ष्य इस प्रकार हैं :– **लक्ष्य 1 शून्य गरीबी** – गरीबी का हर रूप में हर जगह उन्मूलन, **लक्ष्य 2 शून्य भुखमरी** – शून्य भुखमरी, खाद्य सुरक्षा और बेहतर पोषण हासिल करना तथा सतत् खेती को प्रोत्साहन, **लक्ष्य 3 उत्तम स्वास्थ्य और खुशहाली** – उत्तम स्वास्थ्य सुनिश्चित करना और हर उम्र में सब की खुशहाली को प्रोत्साहन, **लक्ष्य 4 गुणवत्तापूर्ण शिक्षा** – समावेशी और समान गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करना तथा सबके लिए आजीवन सीखने के अवसरों को प्रोत्साहन, **लक्ष्य 5 लैंगिक समानता** – लैंगिक समानता हासिल करना और सभी महिलाओं एवं लड़कियों को सशक्त करना, **लक्ष्य 6 स्वच्छ जल और स्वच्छता** – सबके लिए जल एवं स्वच्छता की उपलब्धता और टिकाऊ प्रबंधन सुनिश्चित करना, **लक्ष्य 7 सस्ती और प्रदूषण–मुक्त ऊर्जा** – सस्ती, विश्वसनीय, सतत और आधुनिक ऊर्जा सुलभता सुनिश्चित करना, **लक्ष्य 8 उत्कृष्ट कार्य और आर्थिक वृद्धि** – निरंतर, समावेशी और सतत् आर्थिक वृद्धि, सबके लिए पूर्ण और उत्पादक रोजगार और उत्कृष्ट कार्य, **लक्ष्य 9 उद्योग, नवाचार और बुनियादी सुविधाएं** – जानदार बुनियादी सुविधाओं का निर्माण, समावेशी और टिकाऊ औद्योगीकरण को प्रोत्साहन और नवाचार को संरक्षण, **लक्ष्य 10 असमानताओं में कमी** – देशों के भीतर और उनके बीच असमानताएं कम करना, **लक्ष्य 11 संवहनीय शहर और समुदाय** – शहरों और मानव बस्तियों को सुरक्षित, जानदार और संवहनीय बनाना, **लक्ष्य 12 संवहनीय उपभोग और उत्पादन** – उपभोग और उत्पादन के संवहनीय स्वरूप सुनिश्चित करना, **लक्ष्य 13 जलवायु कार्रवाई** – जलवायु परिवर्तन और उसके प्रभावों का सामना करने के लिए तत्काल कार्रवाई करना, **लक्ष्य 14 जलीय जीवों की सुरक्षा** – जलीय जीवों की सुरक्षा सतत् विकास के लिए महासागरों, सागरों और समुद्री संसाधनों का संरक्षण और संवहनीय उपयोग, **15 थलीय जीवों की सुरक्षा** – थलीय जीवों की सुरक्षा, थलीय पारिस्थितिकी का संरक्षण, पुनर्जीवन और संवर्धन, वनों का संवहनीय प्रबंधन, मरुस्थलीकरण का सामना और भूमि क्षय को रोकना तथा ठीक करना और जैव विविधता क्षति को रोकना, **लक्ष्य 16 शांति, न्याय और सशक्त संस्थाएं** – सतत् विकास के लिए शांतिपूर्ण एवं समावेशी समाजों को प्रोत्साहन, सब के लिए न्याय सुलभ कराना और सभी स्तरों पर असरदार, जवाबदेह और समावेशी संस्थाओं

की रचना करना, **लक्ष्य 17 लक्ष्य हेतु भागीदारी** – क्रियान्वयन के साधनों को सशक्त करना और सतत विकास के लिए वैश्विक साझेदारी को नई शक्ति देना।

पंचायतों में एसडीजी का स्थानीयकरण

पंचायती राज मंत्रालय द्वारा पंचायत स्तर पर एसडीजी को स्थानीयकृत करने के लिए 17 एसडीजी से कुल 9 विषयों (थीम) की पहचान की गई जो इस प्रकार हैं :– थीम 1 गरीबी मुक्त गांव, थीम 2 स्वस्थ गांव, थीम 3 बच्चों के अनुकूल गांव, थीम 4 जल पर्याप्त गांव, थीम 5 स्वच्छ और हरा–भरा गांव, थीम 6 आत्मनिर्भर बुनियादी ढांचे वाला गांव, थीम 7 सामाजिक रूप से सुरक्षित और सामाजिक रूप से न्यायसंगत गांव, थीम 8 सुशासन वाला गांव, थीम 9 महिला मित्रवत गांव।

जीपीडीपी तैयारी प्रक्रिया

- ग्राम पंचायत योजना फेसलीटेशन टीम का गठन
- वातावरण निर्माण
- योजना के लिये प्रमुख क्षेत्र – बाल सभा, महिला सभा, वार्ड सभा से इनपुट्स, एलएसडीजी के 9 विषयों पर आधारित
- जानकारी संकलित करना –मिशन अंत्योदय सर्वेक्षण और अन्य स्त्रोतों से लिए गए आंकड़े
- परिस्थिति विश्लेषण – एसएचजी सदस्य भी प्रक्रिया में भाग लेंगे और एकत्रित आंकड़ों के आधार पर गरीब और कमजोर लोगों के सामाजिक और आर्थिक विकास से संबंधित मुद्दों का विश्लेषण करेंगे।
- विजनिंग एक्सरसाइज
- स्टेटस रिपोर्ट तैयार करना – आवश्यकताओं की प्राथमिकता। वीपीआरपी तैयार करने के लिए आजीविका की प्राथमिकता पर भी चर्चा की जरूरत है।
- रिसोर्स एनवलप
- योजना अनुमोदन के लिये विशेष ग्रामसभा – जागरूकता पैदा करना और जुटाना, वीपीआरपी का जीपीडीपी में एकीकरण।
- जीपीडीपी तैयार करना, जीपीडीपी की स्वीकृति एवं ई–ग्राम स्वराज पर अपलोड करना ।

ग्राम गरीबी उन्मूलन योजना (वीपीआरपी)

- वीपीआरपी ग्राम स्तर पर एसएचजी संघों द्वारा तैयार की गई एक व्यापक सामुदायिक मांग योजना है जिसे जीपीडीपी के साथ एकीकृत किया जाना चाहिए।

- वीपीआरपी में एसएचजी परिवारों की मांगें और समाज के अन्य कमजोर वर्गों की मांगें शामिल हैं।
- यह मिशन और योजना दस्तावेज के रूप में कार्य करता है जिसके चारों ओर ग्राम पंचायत और एसएचजी नेटवर्क लोगों की बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए मिलकर काम करते हैं।

अवयव : वीपीआरपी

- पात्रता योजना (विभिन्न पेंशन, जॉब कार्ड, आधार कार्ड, उज्जवला, मनरेगा, पीएमएवाई, एसबीएम इत्यादि)
- आजीविका योजना (हस्तक्षेप के प्रकार और आवश्यक सहायता)
- सार्वजनिक सामान और सेवाएं संसाधन विकास योजना (सड़कें, सुरक्षित पेयजल सुविधा, सिंचाई सुविधा, आंगनवाड़ी केंद्र, स्कूल आदि)
- सामाजिक विकास योजना (अभिसरण समर्थन के साथ सामाजिक मुद्दों को संबोधित करने के लिए)
- वीपीआरपी योजना तैयार करना और

जीपीडीपी में एकीकरण

स्व–सहायता समूह स्तर, ग्राम संगठन स्तर, ग्राम पंचायत स्तर पर वीपीआरपी तैयार की जावेगी। जिसे ग्राम सभा में प्रस्तुत किया जावेगा। ग्राम सभा में वीपीआरपी को जीपीडीपी में एकीकृत किया जावेगा।

जन योजना अभियान (पीपीसी)

- जन योजना अभियान जमीनी स्तर पर जागरूकता, सामुदायिक भागीदारी और सतर्कता के साथ जीपीडीपी की तैयारी सुनिश्चित करने के लिए एक प्रभावी रणनीति है।
- इसे 2018 में शुरू किया गया था और 2 अक्टूबर से 31 जनवरी की अवधि के बीच हर साल ''सबकी

योजना सबका विकास'' के रूप में लागू किया गया था।

- अभियान के दौरान, एमए सर्वेक्षण डेटा और अन्य डेटा स्रोतों का उपयोग करके साक्ष्य आधारित योजना के लिए अगले वित्तीय वर्ष के लिए व्यापक जीपीडीपी तैयार करने के लिए संरचित ग्राम सभा आयोजित की गई।
- 2023–24 के लिए जीपीडीपी की तैयारी के लिए जन योजना अभियान, 2022 के शुभारंभ के लिए तैयारी कार्य किए जा रहे हैं।

जन योजना अभियान के उद्देश्य

- प्रभावी ग्राम सभा में डीएवाई–एनआरएलएम के तहत 31 लाख निर्वाचित पंचायत नेताओं और 8.38 करोड़ एसएचजी महिलाओं की भूमिका को सुदृढ़ बनाना
- मिशन अंत्योदय सर्वेक्षण में पहचानी गई कमियों के आधार पर प्रगति के साक्ष्य आधारित आकलन
- जन सूचना अभियान – ग्राम पंचायत कार्यालय में सभी कार्यक्रमों की योजनाओं, वित्त आदि पर पूर्ण सार्वजनिक प्रकटीकरण
- संकल्प के रूप में सतत विकास लक्ष्यों (एलएसडीजी) के स्थानीयकरण के विषयों को शामिल करना
- योजना में अभिसरणरू मानव संसाधन, निधि, योजनाएं
- जिला एवं प्रखंड पंचायत स्तर पर नियोजन पर फोकस

जन योजना अभियान पोर्टल (gpdp.nic.in) एवं डेशबोर्ड

पीपीसी में चुनौतियां

- योजना प्रक्रिया और ग्राम सभा में स्वयं सहायता समूहों सहित समुदाय से अपर्याप्त भागीदारी
- साक्ष्य आधारित योजना का अभाव
- ढांचागत गतिविधियों पर अधिक जोर
- लाइन मंत्रालयों/विभागों से योजनाओं के अभिसरण का अभाव
- विशेष ग्राम सभा में संबंधित मंत्रालयोंधविभागों के प्रतिनिधियों की भागीदारी का अभाव

- पंचायती राज संस्थाओं– स्वयं सहायता समूहों के अभिसरण के रूप में सामाजिक पूंजी के दोहन की विस्तारित गुंजाइश
- पंचायती राज संस्थाओं की बढ़ी हुई संस्थागत क्षमता और एसएचजी सदस्यों सहित ईआर, पदाधिकारियों और हितधारकों की क्षमता की आवश्यकता

हस्तक्षेप – पंचायती राज मंत्रालय

(1) साक्ष्य आधारित योजना–महत्वपूर्ण क्षेत्रों में विकास का आकलन करने और उसे कम करने के लिए गैप रिपोर्ट का उपयोग करना। डेटा का उपयोगरू सरल विश्लेषण के लिए पंचायत निर्णय समर्थन प्रणाली (पीडीएसएस), भुवन पंचायत और योजना और रिपोर्टिंग डैशबोर्ड जैसे डैशबोर्ड तैयार किए गए हैं।

(2) सतत विकास लक्ष्य–एसडीजी इस वर्ष के लिए समग्र योजना लक्ष्य तैयार करेगा। स्थानीयकृत 9 विषयों पर विशेष जोर दिया जावेगा। योजना के लिए ग्राम पंचायत द्वारा कम से कम एक और अधिक से अधिक तीन संकल्प जोड़ना अनिवार्य है।

(3) स्वयं सहायता समूह और समुदाय लामबंदी–वीपीआरपी पर अनिवार्य रूप से चर्चा की जानी चाहिए। एसएचजी सामाजिक विकास में सुधार करने में मदद करते हैं। ग्रामसभाओं को जीवंत बनाने का प्रयास होगा।

(4) समग्र योजना–मंत्रालयों के प्रमुख कार्यक्रमों के संसाधन लिफाफा डेटा का पोर्टिंग परिचय ई–ग्राम स्वराज। महत्वपूर्ण गतिविधियों को प्रायोजित करने के लिए विभिन्न योजनाओं को परिवर्तित करने के लिए नई रणनीतियाँ बनाना। संबंधित मंत्रालयों को संयुक्त सलाह।

ग्राम पंचायत और स्व–सहायता समूह

- ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के लिए योजनाएँ तैयार करने और लागू करने के लिए पंचायतों को संवैधानिक रूप से स्थानीय रूप से अनिवार्य किया गया है।
- एसएचजी, गरीबों की संस्थाओं के रूप में, गांवों के समावेशी सामाजिक–आर्थिक विकास का लक्ष्य रखते हैं।
- आपसी सम्मान, शक्ति और विश्वास के आधार पर दोनों के बीच घनिष्ठ साझेदारी स्थानीय स्तर पर विकास के परिणाम में सुधार ला सकती है ।
- बेहतर पीआरआई–एसएचजी अभिसरण उत्तरदायी और जवाबदेह शासन के माध्यम से स्थानीय लोकतंत्र को मजबूत करेगा।
- एसएचजी आर्थिक विकास और सामाजिक विकास के लिए भागीदारी योजना और कार्यान्वयन और गतिविधियों की निगरानी में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।

पीआरआई एसएचजी अभिसरण की चुनौतियां

- ग्राम पंचायतों और स्वयं सहायता समूहों की संस्थाओं के बीच भागीदारी और अभिसरण का अभाव
- ग्राम सभा में सदस्यों की उपस्थिति का अभाव
- ग्राम सभा में स्वयं सहायता समूहों के सदस्यों की उपस्थिति का अभाव
- कुछ राज्यों को छोड़कर, विशेष ग्राम सभा में पीएलएफ की भागीदारी और वीपीआरपी पर चर्चा का प्रतिशत काफी कम है

- ग्राम पंचायत प्लान फेसलीटेशन टीम और योजना और कार्यान्वयन प्रक्रिया में स्व–सहायता समूह सदस्यों की भागीदारी का अभाव
- पीआरआई–एसएचजी अभिसरण के मुद्दों पर एसएचजी और पीआरआई प्रतिनिधियों की अपर्याप्त क्षमता

आगे बढ़ने का रास्ता

- पीआरआई–एसएचजी अभिसरण के मुद्दों पर एसएचजी सदस्यों और निर्वाचित प्रतिनिधियों का पर्याप्त प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण
- स्थानीय स्तर पर पीआरआई–एसएचजी अभिसरण के मुद्दों पर इंटरैक्टिव मॉड्यूल, सामग्री का विकास और व्यापक प्रसार
- जीपीडीपी की तैयारी और कार्यान्वयन के दौरान महिला सभा, सामुदायिक स्तर की बैठकों, जीपीपीएफटी में भागीदारी, पर्यावरण निर्माण, सामुदायिक लामबंदी और प्रवेश स्तर की गतिविधियों, निगरानी आदि में एसएचजी सदस्यों की आउटरीच और भागीदारी
- स्थानीय स्तर पर पंचायतों और स्वयं सहायता समूहों के बेहतर समन्वय के लिए संस्थागत व्यवस्था – संयुक्त परामर्श जारी, ग्राम पंचायतों की स्थायी समितियों में स्वयं सहायता समूहों के सदस्यों को अनिवार्य रूप से शामिल करने पर परामर्श
- ग्राम स्तर पर जीपीडीपी की योजना, निगरानी और कार्यान्वयन में एसएचजी सदस्यों की बेहतर भागीदारी के लिए संबंधित मंत्रालयों सहित सभी संबंधित हितधारकों के साथ संवेदीकरण और अभिसरण

डॉ. संजय कुमार राजपूत
संकाय सदस्य

जल की प्रचुरता वाले गांव विषय (Theme) का अन्य सतत विकास लक्ष्यों के साथ अंतर्संबंध (Interlinkages)

सतत विकास के 17 लक्ष्यों के स्थानीयकरण हेतु चिन्हित 9 विषयों (Theme) में से एक प्रमुख विषय है। जल की प्रचुरता वाला गांव। यह इस दृष्टिकोण पर आधारित है कि सभी के लिए क्रियाशील घरेलू नल कनेक्शन वाला गांव हो, लक्षित मानकों के अनुसार गुणवत्ता वाले पानी की आपूर्ति हो, अच्छे जल प्रबंधन और कृषि संबंधी सभी जरूरतों के लिए प्रचुर मात्रा में पानी की उपलब्धता और जल के पारिस्थितिकीय तंत्र का संरक्षण हो।

मनुष्य के जीवन, समृद्धि और पृथ्वी के लिए जल अनिवार्य और मूलभूत आवश्यकता है। यदि पानी नहीं है तो जीवन नहीं होगा और न ही यह हरी भरी पृथ्वी होगी।

जल की प्रचुरता वाला गांव – यह विषय सतत विकास लक्ष्य 6 स्वच्छ जल एवं स्वच्छता पर आधारित है और लक्ष्य 15 भूमि पर जीवन को सीधे सीधे प्रभावित करता है अर्थात पृथ्वी पर जीवन पूर्णतया जल की उपलब्धता पर निर्भर है। इनके अतिरिक्त यह अन्य 12 सतत विकास लक्ष्यों की प्रगति से अंतर्संबंधित है और केंद्रीयकृत भूमिका में है। जिसे इस प्रकार से रेखांकित किया जा सकता –

1 SDG 1 शून्य गरीबी –

पानी की कमी गरीबी को दूर करने वाले प्रयासों को प्रभावित करती है। शुष्क खेती वाले क्षेत्रों में सिंचाई हेतु पर्याप्त मात्रा में पानी उपलब्ध ना होने से उत्पादन कम होता है जिससे सीमांत किसान एवम भूमिहीन खेतिहर मजदूरो को आमदनी कम होती है और वे गरीबी की स्थिति से उबर नहीं पाते।

2 SDG 2 शून्य भुखमरी –

पर्याप्त जल की उपलब्धता सीधे सीधे कृषि उत्पादकता एवम टिकाऊ खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित है जो कि शून्य भुखमरी के लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायक है।

3 SDG 3 उत्तम स्वास्थ्य और खुशहाली –

पानी कमी से जल जनित रोग एवम जल और मृदा प्रदूषण के कारण बीमारियों व मृत्यु की संभावना बढ़ जाती है जो कि ैक्ळ 3 की प्रगति में बाधक है।

4 SDG 4 गुणवत्तापूर्ण शिक्षा –

विद्यार्थियों को WASH गतिविधियों (Water, Sanitation & Hygiene Practices) हेतु प्रोत्साहित करना। जिससे ये गतिविधियां समुदाय तक पहुंच सकें एवम गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा की दिशा में कदम बढ़ाया जा सके।

5 SDG 5 लैंगिक समानता –

ग्रामीण क्षेत्रों में पानी की कमी का सर्वाधिक दुष्परिणाम महिलाओं और लड़कियों को सहना पड़ता है। उन्हें घरेलू उपयोग के लिए दूर दूर के जल स्रोतों से पानी भरकर लाना पड़ता है। ग्रामीण क्षेत्रों में पानी लाने का कार्य पुरुष एवम लड़के प्रायः कम ही करते हैं। इस प्रकार की गतिविधियां लैंगिक समानता के प्रयासों को प्रभावित करती हैं।

6 SDG 8 सम्मानजनक कार्य और आर्थिक विकास –

जब पानी की पर्याप्त उपलब्धता होगी तभी महिलाओं और लड़कियों को घरेलू उपयोग हेतु पानी भरकर लाने के कार्य से मुक्ति मिल सकेगी और उन्हें आर्थिक रूप से उत्पादक गतिविधियों हेतु समय मिल सकेगा जो कि SDG 8 के लक्ष्य प्राप्ति में सहयोगी होगा।

7 SDG 9 उद्योग, नवाचार एवम बुनियादी ढांचा –

पर्याप्त मात्रा में जल की उपलब्धता होने से एकीकृत जलस्रोत प्रबंधन बेहतर होगा जिससे गुणवत्तापूर्ण और भरोसेमंद लचीले बुनियादी ढांचे का निर्माण होगा, समावेशी और टिकाऊ औद्योगिकरण को बढ़ावा मिलेगा तथा नवाचार गतिविधियां बढ़ेंगी।

8 SDG 10 असमानताओं में कमी –

सभी को पर्याप्त मात्रा में गुणवत्तायुक्त जल उपलब्ध कराने से समाज में व्याप्त असमानता एवम भेदभाव में कमी आएगी क्योंकि आज भी पानी की कमी वाले ग्रामीण क्षेत्रों में जल स्रोतों पर दबंगों प्रभाव, पानी भरने में जातिगत भेदभाव जैसी कुप्रथाएं देखने को मिलती हैं।

9 SDG 11 संवहनीय शहर और समुदाय –

बुनियादी सेवाओं तक सभी की पहुंच में पानी की पर्याप्त उपलब्धता सबसे महत्वपूर्ण घटक है। जो कि SDG 11 का मार्ग प्रशस्त करती है।

10 SDG 12 संवहनीय उपभोग एवम उत्पादन –

प्राकृतिक संसाधनों का संवहनीय और कुशल उपयोग, पानी का पुनः सुरक्षित उपयोग रिसाइक्लिंग, पानी में रसायनों और प्रदूषित पदार्थों को मिलने से रोकना तथा स्वस्थ और सुरक्षित पर्यावरण उपलब्ध कराना पानी की पर्याप्त मात्रा में उपलब्धता पर ही संभव होगा।

11 SDG 13 जलवायु परिर्वतन –

जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न जोखिम बहुत हैं और मौसम की अतिरेकी स्थितियों का सबसे बुरा परिणाम किसानों और समाज के कमजोर वर्ग को भुगतना पड़ता है। इसलिए यह महत्त्वपूर्ण है कि विकास कार्यक्रमों को इस प्रकार तैयार किया जाए कि उनका फोकस संधारणीयता और समावेशी विकास के साथ साथ प्राकृतिक संसाधनों के कुशल प्रबंधन पर हो। जलवायु परिवर्तन अनुकूलन के लिए जल प्रबंधन विकल्पों को विभिन्न पैमानों पर लागू करने की आवश्यकता होगी। प्रचुर मात्रा में जल की उपलब्धता इसके लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है।

12 SDG 14 जल के नीचे जीवन –

जल के नीचे जीवन तभी सुरक्षित रहेगा जब स्वच्छ जलीय पारिस्थितिकी तंत्र और समुद्री जलीय पारिस्थितिकी तंत्र को संरक्षित रखने के लिए सतत प्रयास किए जावे।

13 SDG 15 भूमि पर जीवन –

भूमि पर जीवन पूर्णतया जल पर निर्भर है। इस लक्ष्य की प्राप्ति हेतु पानी की प्रचुर मात्रा में उपलब्धता होने पर ही स्थलीय और अंतर्देशीय मीठे पानी के पारिस्थितिक तंत्र और उनकी सेवाओं के संरक्षण, बहाली और टिकाऊ उपयोग को सुनिश्चित किया जा सकेगा है, विशेष रूप से जंगलों में, आर्द्रभूमि, पहाड़ और शुष्क भूमि पर।

अतः वर्ष 2030 तक सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु सभी गांवों को पर्याप्त जल उपलब्धता वाले गांव बनाना ही होगा। ग्राम जल संरक्षण योजना तैयार करना इस दिशा में पहला कदम होगा। इसे जीपीडीपी में एकीकृत करने की आवश्यकता है। यह भी महत्त्वपूर्ण है कि प्रत्येक ग्राम पंचायत में जल संरक्षण उपायों की प्रभावशीलता को मापने के लिए एक प्रणाली स्थापित की जाए और इसे ग्राम सभा की बैठक में नियमित रूप से साझा किया जाए। यदि वर्ष 2030 तक सतत विकास लक्ष्यों को हासिल करना है तो सभी ग्राम पंचायतों, गांवों को जल पर्याप्त गांव बनाना ही होगा।

राजीव लघाटे,
मु.का.अ.ज.पं.

किशोर न्याय बालकों को देखरेख और संरक्षण अधिनियम 2015

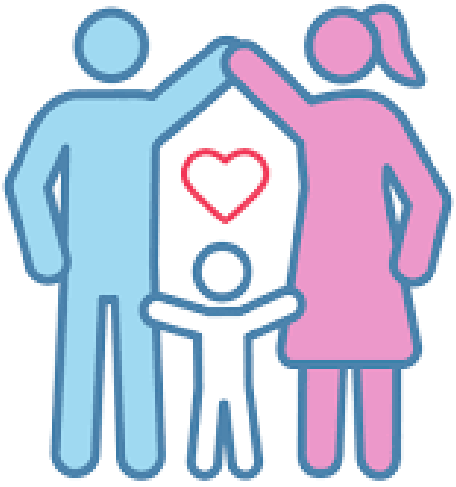

किसी भी राष्ट्र का निर्माण और राष्ट्र का भविष्य उस राष्ट्र के बच्चों पर निर्भर होता है यदि बच्चों के भविष्य को सुरक्षित नहीं किया गया तब राष्ट्र का भविष्य भी असुरक्षित हो जाएगा । समय और परिस्थितियों के अनुरूप ऐसे बच्चों की संख्या बढ़ती चली जा रही है जो कम आयु में ही अपराध कर बैठते हैं। कानून की भाषा में अपराध की ओर प्रवृत्त बालकों को विधि विरोधी किशोर कहा गया है। भारत में ऐसे किशोरों के लिए ककिशोर न्याय बालकों को देखरेख और संरक्षण अधिनियम 2015 पारित किया गया है। इस अधिनियम के सन् 2021 में संशोधन किया गया। लोकसभा में किशोर न्याय; बच्चों की देखभाल और संरक्षण संशोधन विधेयक 2021 पारित किया गया है जो बच्चों की सुरक्षा और उन्हें गोद लेने के प्रावधानों को मज़बूत करने और कारगर बनाने का प्रयास करता है।

यह विधेयक किशोर न्याय ;बच्चों की देखभाल और संरक्षण अधिनियम 2015 [Juvenile Justice (Care and Protection of Children) Act, 2015) में संशोधन करता है। इस विधेयक में उन बच्चों से संबंधित प्रावधान हैं जिन्होंने कानूनन कोई अपराध किया हो और जिन्हें देखभाल एवं संरक्षण की आवश्यकता हो। विधेयक में बाल संरक्षण को मज़बूती प्रदान करने के उपाय किये गए हैं।

इस नए अधिनियम का प्रमुख उद्देश्य विधि विरोधी किशोरों की देखभाल और संरक्षण की व्यवस्था एवं उनके सर्वोत्तम हित में अधिनियम के तहत विभिन्न संस्थानों के माध्यम से उनके पुनर्वास की व्यवस्था सुनिश्चित करना है। ऐसे बालकों को जेल कचहरी आदि के वातावरण तथा पेशेवर अपराधियों से दूर रखकर उन्हें पारिवारिक माहौल उपलब्ध कराने का प्रयास किया जाता है। जिससे वे बड़े होकर आपराधिक जगत् के बुरे वातावरण से दूर रहकर समाज में सम्मानित जीवन व्यतीत कर सकें।

किशोर अथवा बालक इस अधिनियम के अन्तर्गत किशोर या बालक शब्द से आशय ऐसे व्यक्ति से है

जिसने 18 वर्ष की आयु पूरी न की हो। यह परिभाषा 18 वर्ष की आयु से कम किशोर अवस्था के सभी व्यक्तियों के प्रति लागू होती है चाहे वह लड़का हो या लड़की।

इस अधिनियम की महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि इसके अन्तर्गत अपराध कारित करने वाले किशोर को अपराधी या अपचारी किशोर संबोधित न करते हुए विधि.विरोधी किशोर कहा गया है।

विधेयक में प्रमुख संशोधन–

- गंभीर अपराध– गंभीर अपराधों में वे अपराध भी शामिल होंगे जिनके लिये सात वर्ष से अधिक के कारावास का प्रावधान है तथा न्यूनतम सज़ा निर्धारित नहीं की गई है ।
- गंभीर अपराध वे हैं जिनके लिये भारतीय दंड संहिता या किसी अन्य कानून के तहत सज़ा तथा तीन से सात वर्ष के कारावास का प्रावधान है।
- किशोर न्याय बोर्ड (Juvenile Justice Board) उस बच्चे की छानबीन करेगा जिस पर गंभीर अपराध का आरोप है।
- गैर.संज्ञेय अपराध – एक्ट में प्रावधान है कि जिस अपराध के लिये तीन से सात वर्ष की जेल की सज़ा होए वह संज्ञेय ;जिसमें वॉरंट के बिना गिरफ्तारी की अनुमति होती है और गैर जमानती होगा।

<u>विधेयक इसमें संशोधन करता है और प्रावधान करता है कि ऐसे अपराध गैर संज्ञेय होंगे।</u>

गोद लेना/एडॉप्शन–

एक्ट में भारत और किसी दूसरे देश के संभावित दत्तक (एडॉप्टिव) माता.पिता द्वारा बच्चों को गोद लेने की प्रक्रिया निर्दिष्ट की गई है। संभावित दत्तक माता. पिता द्वारा बच्चे को स्वीकार करने के बाद एडॉप्शन एजेंसी सिविल अदालत में एडॉप्शन के आदेश प्राप्त करने के लिये आवेदन करती है। अदालत के आदेश से यह स्थापित होता है कि बच्चा एडॉप्टिव माता.पिता का है। बिल में प्रावधान किया गया है कि अदालत के स्थान पर ज़िला मजिस्ट्रेट (अतिरिक्त ज़िला मजिस्ट्रेट सहित) एडॉप्शन का आदेश जारी करेगा।

- अपील– विधेयक में प्रावधान किया गया है कि ज़िला मजिस्ट्रेट द्वारा पारित गोद लेने एडॉप्शन के आदेश से असंतुष्ट कोई भी व्यक्ति इस तरह के आदेश के पारित होने की तारीख से 30 दिनों के भीतर संभागीय आयुक्त के समक्ष अपील दायर कर सकता है। इस प्रकार की अपीलों को दायर करने की तारीख से चार सप्ताह के भीतर निपटाया जाना चाहिये।
- ज़िला मजिस्ट्रेट के अतिरिक्त कार्यों में शामिल हैं:
- (i) ज़िला बाल संरक्षण इकाई की निगरानी करना (ii) बाल कल्याण समिति के कामकाज की त्रैमासिक समीक्षा करना।

अधिकृत न्यायालय– अधिनियम के तहत सभी अपराधों को बाल न्यायालय के अंतर्गत शामिल किया गया।

डॉ. वंदना तिवारी
व्याख्याता

ग्राम शाहपुर, (कुठार) तहसील–हुजूर, जनपद पंचायत फदा जिला भोपाल में भूमि एवं वृक्ष संरक्षण हेतु किये गये सफल प्रयोग

भोपाल जिले के विकासखण्ड फंदा में स्थित ग्राम शाहपुर, (कुठार) में 100 एकड शासकीय भूमि में लगभग 2000 सागोन के वृक्ष लगे हुए थे जिनकी कोई सुरक्षा न होने के कारण धीरे–धीरे वृक्षों को काटा जा रहा था । इस कारण सागोन का जंगल नष्ट हो रहा था ।

उक्त ग्राम में जलग्रहण मिशन की परियोजना स्वीकृत हुई । परियोजना के अन्तर्गत गठित वाटरशेड कमेटी के माध्यम से जंगल में लगे लगभग 2000 वृक्षों पर नम्बर डाले गये एवं सागोन के जंगल के चारों तरफ लगभग 5–6 फिट गहरी एवं 3–4 फिट चौडी सी.सी.टी (continous contour trench) खोदी गई । इसकी खुदाई में जो मिट्टी निकली उससे बण्ड बनाया गया । बण्ड पर जैट्रोफा के पौधों का वृक्षारोपण किया गया । साथ ही हैमेटा ग्रॉस का रोपण भी किया गया ।

सी.सी.टी के बन जाने से सागोन के जंगल में गॉव के मवेशियों का और गांव वालों का आना–जाना बंद हो गया। लोगों के द्वारा जो पेड काटे जा रहे थे उसपर भी पाबंदी लगी । साथ ही चारागाह में वृद्धि हुई । 100 एकड के जंगल में सागोन की सुरक्षा हुई । तथा 100 एकड क्षेत्र का पानी ट्रेंचेज में आकर परकोलेट हुआ जिससे आस–पास के क्षेत्र में नमी रहने लगी । व क्षेत्र के जलस्तर में भी बढोतरी हुई । इस प्रकार एक संरचना से 5 प्रकार के लाभ हुए । जैसे वृक्षों का संरक्षण, चारागाह विकास, जलस्तर में वृद्धि, भूमि में नमी एवं बण्ड पर लगाये गये पौधों से ग्राम पंचायत को अतिरिक्त आय हुई।

अशोक गोयल,
संकाय सदस्य

सुरहन गौशाला ग्राम पंचायत रिड्डी

संचालक :– हरि ओम आ.स्व.सहा. समूह रिड्डी 1 जनवरी 2021 से ग्राम पंचायत के द्वारा उस समय गौशाला में 10 गाय थी, वर्तमान में 105 गाय है सुरहन गौशाला का निर्माण ग्राम पंचायत रिड्डी के द्वारा किया गया जिसका संचालन हरि ओम SHG रिड्डी के द्वारा किया जा रहा है जिसकी अध्यक्ष देवकी बाई डहरवाल सचिव बिसिया बाई सहकारे एवं यह समूह में 12 सदस्य है हमारे यहा गौशाला में 105 गाय है। जिसका भुगतान प्रति पशु 20/– प्रति पशु की राशि चारा–भूसा एवं सूदाना क्रय करने के लिए उपसंचालक पशु विभाग के द्वारा 3 माह में एवं एक वर्ष में चार किस्तों में राशि प्राप्त होती है। जिससे हमारें द्वारा गौशाला में समूह की दिदियों की बचत 1500/– प्रति माह होती है। हमारे द्वारा बहुत अच्छे से गौशाला का संचालन किया जा रहा है।

गौशाला को व्यवसायिकरण में जोड़ना चाहिये ताकि समूह को संवहनीय अजीविका से जोड़ा जाये। ताकि समूह को लाभ हो सके। गौशाला के आस–पास में वृक्षारोपण भी किया जा रहा है जिसमें जामुन, आमरूद आम के फलदार वृक्ष लगायें जा रहे।

समूह को ग्राम पंचायत सीमा क्षेत्र में हरे घास की व्यवस्था हेतु पड़त भूमि एवं गायोंके निस्तार हेतु तालाब निर्माण हो ताकि गौशाला का व्यवसायिक रूप दिया जा सके।

सी.के. चौबे,
संकाय सदस्य